



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:20115

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत रद्दकरण

आवेदन क्रमांक - 1 सन् 2026

X शिकायतकर्ता, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना कोतवाली,

ज़िला उन्नाव, वाद अपराध संख्या 308/2025

.....आवेदक(गण)

बनाम

निशा एवं अन्य

.....विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक (कों) के अधिवक्ता

:

नारायण दत्त तिवारी

विरोधी पक्ष के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2025 के आदेश के माध्यम से 'एड-इंटरिम' (अस्थायी) आधार पर दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए दायर किया गया है; जिसे बाद में आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1307/2025 (निशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित दिनांक 31.10.2025 के आदेश द्वारा पुष्ट कर दिया गया था।

3. दिनांक 18.09.2025 का आदेश नीचे उद्धृत है :-

“शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश कुमार रावत द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है। जब अगली बार यह मामला सूची में आएगा, तो उनका नाम शिकायतकर्ता (विरोधी पक्ष संख्या 2) के अधिवक्ता के रूप में दर्शाया जाएगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

यह अग्रिम जमानत आवेदन, पुलिस थाना कोतवाली, जिला उन्नाव में दर्ज प्राथमिकी/ वाद अपराध संख्या 308/2025 के संबंध में, धारा 74, 115(2), 352, 351(3), 127(4), 70(1), 3(5), 296 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु दायर की गई है।

अभियोजन पक्ष के मामले में यह आरोप लगाया गया है कि आवेदिका, जो मुखबिर की माँ है, सह-आरोपी अरविंद के साथ अवैध संबंध रखती है; अरविंद मुखबिर का सगा चाचा है। इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया है कि उसकी माँ हमेशा उस पर अपने चाचा के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती थी। जब उसने विरोध किया, तो आरोप है कि आवेदक ने उसे प्रताड़ित और परेशान किया। उसे नामित आरोपियों द्वारा शारीरिक और मानसिक यातना दी गई है। यह भी आरोप है कि उसने 18.10.2024 को अपना घर छोड़ दिया और एक किराए के कमरे में रहने लगी। हालाँकि, आवेदक, सह-आरोपी के साथ मिलकर, उसे जबरदस्ती वहाँ से वापस ले आयी और 17 दिनों तक सह-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आरोपी शरद द्रविदेदी के घर में उसे कैद करके रखा, जहाँ उसे मानसिक और शारीरिक यातना के साथ-साथ शोषण का भी शिकार बनाया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान मामले से पूर्व, पीड़िता के भाई उत्कर्ष अग्निहोत्री द्वारा धारा 109, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 081/2024 दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और विचारण प्रारंभ हो गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सूचना देने वाली के मंगेतर रोहित सोनी, उपर्युक्त मामले के संबंध में एक जघन्य अपराध के लिए जेल में हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह बताया है कि उन्नाव के अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव को एक विस्तृत विवरण भेजा गया था, जिसमें यह राय व्यक्त की गई है कि वर्तमान आवेदक को प्राथमिकी संख्या 821/ 2024 को रद्द करवाने के उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है।

आगे यह भी निवेदन है कि पीड़िता की चिकित्सा-विधिक परीक्षण के दौरान कोई भी असामान्यता नहीं पाई गई। पीड़ित को 16-17 दिनों तक बंधक बनाकर रखने का आरोप भी झूठा पाया गया है, जैसा कि परीक्षण अधिकारी के निरीक्षण विवरण से स्पष्ट है, जो अभिलेख पर मौजूद है। उक्त विवरण से यह संकेत मिलता है कि घर के हाल ही में निर्मित होने के कारण, मुख्य द्वार को छोड़कर, किसी भी कमरे में कोई दरवाज़ा नहीं है; जिससे नज़रबंदी का आरोप आधारहीन साबित होता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत के आवेदन का विरोध किया है और प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभिलेख का अवलोकन किया।

प्राथमिकी संख्या 081/2024 पर उचित विचार करने के बाद; सहायक पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा भेजे गए विवरण के आधार पर; यह देखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; प्रस्तुत की गई दलीलों और अभिलेख की जाँचके बाद, एक अंतरिम उपाय के तौर पर, सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 मामले में निर्धारित कानून पर भरोसा करते हुए, यह न्यायालय आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत देना उचित समझता है।

तदनुसार, अगली सुनवाई के दिनांक तक यह निर्देश दिया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक निशा को एक व्यक्तिगत बन्धपत्र और प्रत्येक दो जमानतदार उतनी ही राशि के प्रस्तुत करने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर मुक्त कर दिया जाए; ये जमानतें संबंधित गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/ परीक्षण अधिकारी/ थाना प्रभारी की संतुष्टि के अनुसार होनी चाहिए।

आवेदक आज से बीस दिनों के भीतर परीक्षण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगी, जाँचमें सहयोग करेगी और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगी। परीक्षण या पूछताछ के लिए जब भी परीक्षण अधिकारी/ गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/ थाना प्रभारी द्वारा आवश्यकता होगी, वह उपस्थित रहेगी। आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

चूक होने पर, अन्वेषण अभिकरण के लिए यह खुला रहेगा कि वह इस अंतरिम सुरक्षा को समाप्त करने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करे।

इस मामले को 31.10.2025 को सूचीबद्ध/ प्रस्तुत किया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अपना प्रति-शपथ-पत्र दाखिल करेंगे।”

4. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2025 को पारित आदेश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत यह वर्तमान आवेदन, पुलिस थाना कोतवाली, जिला उन्नाव में दर्ज प्राथमिकी/ वाद अपराध संख्या 308/2025 (धारा 74, 115(2), 352, 351(3), 127(4), 70(1), 3(5), 296 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत) में गिरफ्तारी की आशंका के चलते अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया था।

3. यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को 18.09.2025 को अंतरिम अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया था।

4. श्री रंतेश कुमार रावत मुखबिर की ओर से उपस्थित हुए हैं। इस बात को अस्वीकृत नहीं किया गया है कि आवेदक ने उसे दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत के लाभ का दुरुपयोग किया है।

5. इसे देखते हुए, दिनांक 18.09.2025 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को, वाद की समाप्ति तक के लिए इस शर्त के साथ पुष्ट किया जाता है कि आवेदक परीक्षण/ विचरण में सहयोग करेगा और, यदि आवश्यक हो, तो परीक्षण अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार बन्धपत्र तथा संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार जमानतदार प्रस्तुत करेगा। आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके। आवेदक, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।

6. अतः, अग्रिम जमानत के लिए प्रस्तुत वर्तमान आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।”

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने, विरोधी पक्ष संख्या 1 को दिनांक 31.10.2025 के आदेश, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, के माध्यम से दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने हेतु प्रस्तुत वर्तमान आवेदन में उठाए गए आधारों का हवाला दिया और यह निवेदन किया कि यह जमानत रद्द किए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

6. इस आवेदन में उठाए गए आधार नीचे दिए गए हैं:-

“(i) विरोधी पक्ष संख्या 1/ आरोपी ने आवेदक/ शिकायतकर्ता को वाद वापस लेने के लिए डराया-धमकाया है।

(ii) विरोधी पक्ष संख्या 1/ अभियुक्त ने गवाहों से संपर्क किया है और उनके बयानों को बदलने के लिए उन्हें प्रभावित किया है।

(iii) विरोधी पक्ष संख्या 1/ अभियुक्त ने जाँच अधिकारी के साथ सहयोग करने में विफलता दिखाई है और निष्पक्ष जाँच में बाधा डाली है।

(iv) विरोधी पक्ष संख्या 1/ आरोपी, आवेदक/ शिकायतकर्ता के घर के पास ही रहता रहा है, जिससे पीड़ित को मानसिक आघात और लगातार भय का सामना करना पड़ रहा है।

7. उपर्युक्त बातों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिमांशु शर्मा बनाम मध्य

प्रदेश राज्य; 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 187, मामले में की गई टिप्पणियों पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समुचित विचार करने के बाद, यह न्यायालय विरोधी पक्ष संख्या 1 को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए प्रस्तुत वर्तमान आवेदन में कोई दम नहीं पाता है और इसका कारण यह है कि गवाहों को धमकाने/ प्रभावित करने और जाँच में सहयोग न करने से संबंधित आरोप निराधार और अस्पष्ट हैं, क्योंकि इनके समर्थन में कोई भी ठोस सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. तदनुसार, यह आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

मार्च 19, 2026

प्रीति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।